



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 23, बुधवार, शाके 1938-दिसम्बर 14, 2016
Agrahayana 23, Wednesday, Saka 1938-December 14, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 14, 2016

जी.एस.आर.78 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची का संशोधन .-** राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से संलग्न अनुसूची के शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय अधीनस्थ सेवा" के अधीन क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थपित किया जायेगा, अर्थात् :-

"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक"।

[संख्या एफ. 8(1) संसद/2012]

राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, December 14, 2016

G.S.R.78 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, after consultation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is hereby pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely :-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule.- The existing entries in column number 4 against serial number 1 under the heading "RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT SUBORDINATE SERVICE" of Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992 shall be substituted by the following, namely :-

"Post graduate from any University established by Law in India.

Or

Law graduate from any Unieversity established by Law in India."

[No. F. 8(1) Sansad/2012]

By Order of the Governor,

मनोज कुमार व्यास,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.